न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

शुभम चौधरी (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCM प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
104/25	2025/114	17.10.2025	21.05.2026

श्री प्रहलाद पिता धनराज जाति पाटीदार निवासी गांगरोल तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.

—: प्रार्थी/अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. श्री मेधराज पिता नन्दा मेघवाल निवासी गांगरोल तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
2. श्री दुर्गाशंकर पिता नन्दा मेघवाल निवासी गांगरोल तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
3. श्री रामनिवास पिता नन्दा मेघवाल निवासी गांगरोल तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
4. श्रीमती केशरबाई पति मेधराज मेघवाल निवासी गांगरोल तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
5. श्रीमती राजू बाई पति रामनिवास मेघवाल निवासी गांगरोल तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज.
6. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतापगढ़
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी

—: अप्रार्थी/विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आंवटन अधिनियम राजस्थान राज्य आंवटन मिसल संख्या 53/04 दिनांक 03.12.2004 को निरस्त करवाने के क्रम में।

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी अधिवक्ताः— श्री रामप्रसाद पाटीदार पाटीदार।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 05 अधिवक्ताः— श्री बाबलाल जैन
3. अप्रार्थी संख्या 06 अधिवक्ताः— श्री किशनलाल कुमावत

—: आदेश :— दिनांक 21.05.2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गागरोल की खाता संख्या

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

174 में स्थित खसरा संख्या 1222 रकबा 1.15 है. को प्रार्थी निगरानीकार ने पूर्ववर्ती खातेदार श्री भंवरलाल पिता देवा गाडरी निवासी गागरोल से दिनांक 10.06.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की जिसका नामान्तरण प्रार्थीके नाम से खोला जाकर निगरानी खातेदार काश्तकार है।

उक्त आराजी से लगती हुई पश्चिम दिशा तरफ आराजी नम्बर 1142 रकबा 2.95 है. स्थित है जिसमें से 0.53 है. भूमि पर भी आराजी नम्बर 1222 के पूर्ववर्ती खातेदार श्री भंवरलाल पिता देवा जी गाडरी निवासी गागरोल का निर्विघ्न कब्जा काश्त रहा इस कारण उक्त आराजी नम्बर 1222 के खरीद के समय ही उक्त आराजी रकबा 0.53 है. का भी रूपया अदा कर कब्जा खरीद कियातभी से यानी खरीद दिनांक 10.06.1994 से ही अनवरत, निर्विघ्न कब्जा काश्त निगरानीकार प्रार्थी का चला आ रहा है।

चुंकि उक्त आराजी नम्बर 1142 पर खरीद दिनांक से ही कब्जा काश्त होने के उपरांत विपक्षी संख्या 6 द्वारा डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य नाराणी, चौकी से गागरोल जाने वाली सड़क का कराया गया। यह सड़क 250 मीटर लम्बाई एवं 10 मीटर चौडाई कुल 2500 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण कराया गया उसके पश्चात शेष बची उक्त आराजी रकबा 0.53 है. के शेष भूमि पर निगरानीकार का निर्विघ्न कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अभी वर्तमान में भी प्रार्थी/निगरानीकार ने मूंगफली, सोयाबीन की फसल बो रखी है जो मौके पर खड़ी है। उपरोक्त भूमि पर कभी भी विपक्षी क्रमांक 1 से 5 तक का किसी भी रूप में कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है।

यह कि दिनांक 03.12.2004 को मिसल नबर 53/2004 के जरिये विपक्षी क्रमांक 1 से लगायात 5 ने मिथ्या कथन करते हुए गलत तथ्यों पर आवेदन पेश कर एंव हल्का पटवार व भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी बिना मौके पर जाये बिना प्रार्थी के कब्जे की जांच किये आवंटन दिनांक 03.12.2004 से एक दिन पूर्व दिनांक 02.12.2004 को मौके पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नही है, भूमि पर कोई विवाद नही है की रिपोर्ट अंकित कर विपक्षीगण संख्या 01 से 05 के पक्ष में आवंटन हेतु अपनी राय रखते हुए रिपोर्ट पर पटवार हल्का गांगरोल ने दिनांक 02.12.2004 एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने हस्ताक्षर दिनांक 03.12.2004 को ही करते हुए भू आवंटन सलाहाकार समिति में विकास अधिकारी पंचायत समिति छोटीसादी, तहसीलदार साहब छोटीसादडी, सरपंच ग्राम पंचायत एवं आवंटन अधिकारी ने भी इसी दिनांक 03.12.2004 को अपने हस्ताक्षर करते हुए विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को पात्र मानते हुए उक्त आराजी नम्बर 1142 मूल रकबा में से 0.53 है. आराजी का आवंटन हेतु आदेश पारित कर दिया तथा बाद मे आदेश के गैर खातेदारी में भी तुरफा फूरती में अंकन कर दिया। विपक्षीगण से मिल मिलाकर गलत मौका जांच रिपोर्ट पेश कर मिथ्या व व्यपदेशन करते हुए उक्त भूमि विपक्षीगण क्रमांक 1 से 5 ने उनके नाम पर संयुक्त रूप से आवंटन करा ली जिसकी बनाराजगी यह निगरानी/प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है:–

यह कि नियमानुसार आवंटन से पूर्व विपक्षी क्रमांक 7 का दायित्व था कि वह काबिल आवंटन योग्य भूमियों की मौका जांच कराते हुए अतिक्रमण रहीत भूमियों की सूचि आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी एंव

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

जिलाधीश की सूचि आवंटन अधिकारी एवं जिलाधीश को पेश करें जिसकी पालना कतई रूप से नहीं की गई।

यह कि प्रार्थी आराजी नम्बर 1222 रकबा 1.15 है. की खरीद दिनांक 10.06.1994 से निगरानी पेश करने तक यानी तकरीबन 31 वर्षो से लगातार, निर्विघ्न निरन्तर उक्त आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 है. तथा उस पर 2500 वर्गमीटर भूमि पर सड़क बनने के उपरांत भी शेष भूमि पर प्रार्थी/निगरानीकार ही काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी/निगरानीकार का निर्विघ्न कब्जा काश्त 31 वर्षो से चला आ रहा है इस कारण भी प्रार्थी/निगरानीकार उक्त आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 है. मेसे 2500 वर्गमीटर भूमि की नपती की जाकर शेष भूमि का अपने नाम आवंटन कराने की पूर्ण पात्रता रखता है।

चुंकि उक्त आराजी नम्बर 1142 जो कि विपक्षी संख्या 1 से 5 को दिनांक 03.12.2004 को आवंटन हुई यानी खरीद दिनांक 10.06.1994 के 10 वर्ष पश्चात दिनांक 03.12.2004 को उक्त आराजी आवंटन होकर गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के की गयी लेकिन मौके पर भौतिक रूप से कब्जा नही दिया गया व ना ही पटवार हल्का ने या सक्षम अधिकारी ने मौके पर आकर अवंटन आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 कहां स्थित है, बाबत इंगित कर निर्देशित किया गया इससे भी स्पष्ट है कि मौके पर विपक्षीगण संख्या 1 से 5 का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी/निगरानीकार का खरीद दिनांक से वर्तमान तक निर्विघ्न कब्जा काश्त होने यानी 12 वर्षो से भी अधिक पूराना कब्जा काश्त होने से अपने नाम आवंटन कराने की पूर्ण पात्रता रखता हैं।

यह कि दिनांक 03.12.2004 के आवंटन से पूर्व उपरोक्त भूमि पर यदि प्रार्थी के पूर्व कब्जे की नियमानुसार जांच कर ली गयी होती तो प्रार्थी जो कि दिनांक 10.06.1994 से ही लगातार, निर्विघ्न रूप से काबिज होकर फसल बोता व लेता चला आ रहा है, उस समय भी आंवटन की पात्रता रखता तथा अभी वर्तमान में आवंटन की पात्रता रखता हैं, एवं अगर कब्जे बाबत् पूर्ण सही निस्पक्षता के साथ जानकारी कर ली गयी होती तो उपरोक्त भूमि उस दौरान भी प्रार्थी को ही आंवटन होती जबकि विपक्षीगण ने गलत बयानी करते हुए मिथ्या व दूर्व्यपदेषन के जरिये आंवटन नियमों के विरूद्ध विपक्षी क्रमांक 7 के अधीनस्थ हल्का पटवारी एवं गिरदावर से मिल मिलाकर बिना मौके की जांच कराये रिपोर्ट गलत तरीके से आवंटन करा लिया जो काबिल निरस्त है।

यह कि उपरोक्त आवंटन बिना मौका जांच कराये किया गया है इससे भी स्पष्ट है कि दिनांक 02.12.2004 यानी आंवटन से एक दिन पूर्व हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर हस्ताक्षर किये एवं दिनांक 03.12.2004 को जिस दिन विपक्षीगण क्रमांक 1 से 5 को आवंटन हुआ उसी दिन भू अभिलेख निरीक्षक ने पटवार हल्का की एक दिन पूर्व बनायी गयी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर जांच रिपोर्ट दर्शायी गयी हैं जो कतई सम्भव नहीं हैं इससे भी स्पष्ट है कि बिना मौके पर गये ही हल्का पटवारी व गिरदावरी भू अभिलेख निरीक्षक ने विपक्षीगण से मिल मिलाकर गलत आवंटन किया है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

यह कि प्रार्थी प्रकरण में वर्णित भूमि पर 31 वर्षों से काबिज है एवं विपक्षीगण को आवंटन हुए दिनांक 03.12.2004 से पूर्व एवं बाद में आज दिन तक लगातार काबीज होकर अपने परिवार के साथ निवास करते हुए उपरोक्त भूमि पर फसल बातो व उसकी उपज से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। 12 वर्षो से भी अधिक समय से निर्विघ्न कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थी अधिकारी है कि वह विपक्षीगण के द्वारा कराये गलत आवंटन को निरस्त कराकर उपरोक्त भूमि नियमानुसार अपने नाम पर आवंटन करवायें।

यह कि आवंटन के नियमों के अनुसार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किये जाने के पश्चात 15 दिन की अवधी में मौके पर विपक्षीगण क्रमांक 01 से 05 को कब्जा सिपूर्द कर भूमि उनके नाम गैर खातेदारी से दर्ज की जानी होती है किन्तु विपक्षी क्रमांक 7 व उनके अधिनस्थ द्वारा पटवारी द्वारा बिना मौके पर कब्जा विपक्षीगण क्रमांक 01 से 05 के सिपुर्द किये उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज की तथा अभी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड की गयी है।

यह कि विपक्षीगण संख्या 01 से 05 ने बिना मौके पर कब्जा प्राप्त किये, बिना किसी प्रकार से भौतिक रूप से कब्जा काष्त होने के बावजूद भी कानून की मंशा के विपरित जाकर एवं न्यायलय को भी गुमराह करते हुए आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 हैक्टर येनकेन प्रकारेण कब्जा प्राप्त करने की मंशा से पत्थरगढी हेतु आवेदन पेश किया जिस पर पटवार हल्का गागरोल व भू.अभि.नि. द्वारा दिनांक 03.06.2025 को मौका पर्चा रिपार्ट बनाया गया।

उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आराजी नम्बर 1142 की पत्थरगढी करवायी गयी जिसमें आराजी के दक्षिणी कोने पर 1 मीटर चौड़ाई व कोने से उत्तर में 80 मीटर की लम्बाई पर 10 मीटर की चौड़ाई कुल 440 वर्गमीटर एवं इससे आगे उत्तर में 80 मीटर लम्बाई व 0 चौडाई यानी कल 400 कुलीया 840 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी (प्रार्थी/निगरानीकार) का कब्जा है तथा प्रार्थी (विपक्षीगण संख्या 01 से 05) की आराजी पर 250 मीटर लम्बाई व 10 मीटर चौड़ी कुल 2500 वर्गमीटर भूमि पर पी.डब्ल्यु.डी.(विपक्षी संख्या 6) की नाराणी चौकी से गागरोल जाने वाली पूरानी सड़क बनी हुई है तथा शेष भाग खाली पड़त पड़ा हुआ है। मौके पर वादी, प्रतिवादी को विवाद नहीं करने एवं वादीगण को नियमानुसार कब्जा लेने हेतु पाबन्द किया।

उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि शेष बची भूमि पर भी विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं है क्योंकि कब्जा लेने हेतु पाबन्द किया शब्द अपने आप में उल्लेखित करता है कि मौके पर विपक्षीगण का भौतिक रूप से कब्जा काश्त नहीं है।

इस मौका पर्चा पर पटवार हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक सहित विपक्षीगण स्वयं के हस्ताक्षर हैं जो इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि मौके पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त आंवटन पूर्ण रूप से निरस्तीय की पात्रता रखता है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

यह कि विपक्षी क्रमांक 1 से 5 ने आंवटन के पश्चात एक दिन के लिए भी उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त नहीं की एवं किसी भी आंवटन शर्त की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवंटन विपक्षी क्रमांक 7 द्वारा श्रीमान के यहां स्वंय 14(4) का प्रकरण बना निरस्त करवाना चाहिए जबकि इसके बदले इस नियम विरूद्व कार्यवाही को बढ़ावा देते हुए नामान्तरण संख्या 504 दिनांक 26.05.2005 को उपरोक्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी में गलत दर्ज कर दी जो नियम विरूद्व होकर शून्य व अवैध है ऐसी स्थिति में गैर खातेदारी व खातेदारी के अधिकार भी गलत दिये गये हैं एवं उपरोक्त आवंटन काबिल निरस्त योग्य हैं।

यह कि दिनांक 03.06.2025(दिनांक 05.07.2025) को मौके पर पटवार हल्का गागरोल ने आकर मौका जांच कर मौका पर्चा बनाया जिस पर प्रार्थी/निगरानीकार को भी सूचना दी गयी थी। प्रार्थी भी वक्त मौका पर्चा उपस्थित रहा तब जानकारी में आया कि विपक्षीगण ने कतई गलत तथ्यों के आधार पर रेवेन्यु मशीनरी से मिलीभगत करते हुए उक्त आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 हैक्टर को अपने नाम आवंटन करवा ली। चुंकि वक्त आवंटन जिला चित्तौड़गढ रहा इस कारण आवंटन नकलें कहां प्राप्त होगी इसी अनभिज्ञता में रहा, जानकारी होने पर आंवटन नकल हेतु निम्बाहेड़ा उपखण्ड कार्यालय में दिनांक 12.09.2025 को आवेदन किया तथा दिनांक 15.09.2025 को प्रमाणित नकलें प्राप्त की। नकल प्राप्त होते ही यह निगरानी जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है किन्तु फिर भी कानूनी एतराज रफा करने हेतु धारा 5 मियाद अधि.का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी/निगरानीकार की ओर से निगरानी आवेदन पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण को हुए दिनांक 03.12.2004 के आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण में वर्णित आराजी भूमि 1142 रकबा 0.53 हैक्टर में से 2500 वर्गमीटर भूमि छोड़कर जिस पर की विपक्षी संख्या 6 की सड़क बनी हुई है, शेष भूमि का प्रार्थी/निगरानीकार को नियमानुसार आवंटन किये जाने हेतु उचित निर्णय आदेश फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अधिवक्त अपीलान्ट/प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में अप्रार्थी/आवंटीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में आवंटन से दर्ज रहते हुए उक्त भूमि का अन्यथा अन्तरण–बेचान नही हो की संभावना व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति हेतु स्थगन ओदश प्रदान करावें। प्रकरण में मौखिक निवेदन अनुसार सुविधा के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 31.10.2025 तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण संख्या–01 से 05 तक कि ओर अधिवक्ता श्री बाबुलाल जैन द्वारा वकालत नामा मय जवाब दिनांक 17.04.2026 को पत्रावली में प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है। अधिवक्ता के कथन निम्न प्रकार है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

विपक्षी का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जाना स्वीकार है, किन्तु उक्त कार्यवाही निगरानी कानूनी बिन्दुओं पर आधारित नही है तथा उसमें असत्य कथन किये हुए है इस कारण प्रार्थी उसमें कभी सफल नहीं होगा

सरकारी भूमि का न तो कोई व्यक्ति विक्रय कर सकता है न ही अतिक्रमण, अतिक्रमण की गई भूमि किसी को बैच सकता है न ही अतिक्रमण ट्रासफर किया जा सकता है। प्रार्थी ने भंवरलाल गाडरी से सन् 1994 में आराजी संख्या 1222 खरीद करना बताई है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कथन स्वीकार है कि विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि आराजी संख्या 1142 रकबा 0.53 हैक्टर है उस पर कभी भी भंवरलाल गाडरी का कब्जा नही रहा है बल्कि सन 1994 के पूर्व से ही आराजी संख्या 1142 पर विपक्षीगण का कब्जा लगातार चला रहा था, तथा इस कारण 1994 में उक्त भूमि पर भंवरलाल गाडरी का नाज़ायज कब्जा होना व उक्त नाजायज कब्जा उसके द्वारा प्रार्थी को ट्रासफर करने का कथन अस्वीकार है। इस संबंध में नारायण चौकी से गागरोल तक सडक निकाले जाने का कथन अस्वीकार है।

यह कि आवेदन की चरण संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है दिनांक 03.12.2004 को मिसल नम्बर 58/2004 में विपक्षीगणों को आवंटित की गई भूमि आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 हैक्टर वक्त आवंटन योग्य थी जो पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा आवंटित की गई भूमि कानून के नियमों के तहत आवंटित की गई तथा उक्त भूमि पर विपक्षीगण को खातेदार अधिकारी प्राप्त हो चुके है, तथा उक्त भूमि विपक्षीगणों के लगातार कब्जे में चली आ रही है, विपक्षीगणों को उक्त भूमि करीब 21 वर्षो पूर्व आवंटित हुई है उक्त आवंटन के समय न तो कभी प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व कोई आपत्ति की गयी है न ही स्वयं प्रार्थी ने उस समय स्वंय के आवंटन हेतु कोई आवेदन पेश किया है। उक्त निगरानी विपक्षीगणों को खातेदारी अधिकारी मिलने के बाद प्रस्तुत की गयी है जो कानूनन स्वतःही खारीज हो गया है।

रेस्पोडेन्टगण संख्या–06 कि ओर अधिवक्ता श्री किशन कुमावत द्वारा वकालत नामा मय जवाब दिनांक 05.05.2026 को पत्रावली में प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है। अधिवक्ता के कथन निम्नानुसार है:– निगरानी की चरण संख्या 01 आंशिक स्वीकार है जिस में 2500 वर्गमीटर सड़क होना बताया है। चरणसंख्या 02 का सम्पूर्ण कथन गलत होकर अस्वीकार है। चरणसंख्या सी से एच का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया गया साथ ही अपने विशेष कथन में आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53 है. मेसे 2500 वर्गमीटर भूमि पर 1.80 कि.मी. की डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य गांव नारणी चौकी से गागरोल तक के लिए कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1990–92 में किया गया था जिसका विशेष मरम्मत कार्य वर्ष 2001–2002 करने के पश्चात् विपक्षी संख्या 6 को सुपुर्द की गयी। इसके पश्चात् से विपक्षी संख्या 6 ही उक्त सड़क की निगरानी व व्यवस्था की देखरेख करता रहा है। वर्तमान में उक्त सड़क का उपयोग निर्बाध रूप से किया जा रहा है।

प्रकरण में दिनांक 12.05.2026 वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता प्रार्थी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत श्रीमान् के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

समक्ष दिनांक 19.09.2025 को पेश की गयी जिसमें राजस्व ग्राम गांगरोल त. छोटीसादडी में स्थित आ.न. 1142 रकबा 0.53 है. जो विपक्षीगण को आंवटन बिना मौका जांच व बिना कब्जे की जानकारी किये आंवटन की गई है। चुंकि प्रार्थी ने भंवरलाल पिता देवा गाडरी से दिनांक 10.06.1994 को आराजी नम्बर 1222 रकबा 1.15 है. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद तथा उक्त आराजी नम्बर 1222 से लगती हुई(एकचक के रूप में) आराजी नम्बर 1142 रकबा 0.53है. मेसे 840 वर्गमीटर भूमि का भी कब्जा प्राप्त किया था। चुंकि उक्त आराजी नम्बर 1142 में नाराणी चौकी गांव से गांगरोल जाने वाली सड़क निर्माण विभाग की सड़क बनी हुई है, एसके पश्चात् शेष उक्त 840 वर्गमीटर पर खरीद दिनांक 10.061994 से अनवरत, निर्विघ्न रूप से प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस वर्ष भी प्रार्थी ने अलसी की फसल बोई थी। जिसके फोटोग्रफ सलग्न है। उक्त आराजी नम्बर 1142 के उक्त रकबा भूमि बाबत् पूर्ववर्ती मालिक श्री भंवरलाल गाडरी को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये जाते रहे है जिसकी शास्ति राशी भी भंवरलाल गाडरी ने जमा करायी है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी का कभी भी मौके पर किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से कब्जा काश्त उक्त आराजी नम्बर 1142 के शेष रकबा सड़क मार्ग को छोड़कर चला आ रहा है। आराजी नम्बर 1142 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड रही, जिसमें वर्ष 1990–92 में विपक्षी संख्या 6 द्वारा नराणी चौकी से गांगरोल सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य किया गया। प्रार्थी ने उक्त आराजी नम्बर 1142 से लगती हुई आराजी नम्बर 1222 पूर्ववर्ती खातेदार भंवरलाल गाडरी से वर्ष 1994 में खरीद की यानी प्रार्थी द्वारा खरीद करने के पूर्व से ही उक्त आराजी नम्बर 1142 पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा चूका था (जिसके फोटोग्राफ सलग्न है।) स्वंय विपक्षी संख्या 6 ने भी अपने जवाब में इसकी ताईद की है। उक्त आराजी पर 1990–92 में सड़क बनने तथा प्रार्थी द्वारा वर्ष 1994 में आराजी नम्बर 1222 खरीद करने के पश्चात् यानी सड़क मार्ग के निर्माण होने के 14 वर्ष पश्चात् एवं प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1222 खरीद करने उसके साथ ही उक्त आराजी नम्बर 1142 के शेष रकबा पर कब्जा प्राप्त करने के 10 वर्ष पश्चात् विपक्षीगण को उक्त आराजी नियमों के विरूद्व आवंटन की गयी जो निरस्त योग्य है। विपक्षीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन कराने तथा बाद आंवटन के पत्थरगढी करवाये जाने के दौरान प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। पत्थरगढी के दौरान पटवार हल्का गागरोल व भू अभिलेख निरीक्षक नाराणी द्वारा दिनांक 05.07.2025 को मौका पर्चा बनाया गया जिसमें पटवार हल्का गागरोल एंव गिरदावर नाराणी ने अपने मौका पर्चा में स्पष्ट अंकन किया है कि 840 वर्गमीटर भूमि पर प्रार्थी प्रहलाद का कब्जा है। इस मौका पर्चा से भी स्पष्ट है कि मौके पर विपक्षीगण का भौतिक रूप से किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त नही रहा है व ना ही वर्तमान में है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि रेवेन्यु मशीनरी ने विपक्षीगण की आंवटन प्रक्रिया एक बन्द कमरे में बिना मौके पर गये, बिना मौका जांच किये तथा एक ही समय में सभी रिपोर्ट बनाकर आंवटन की गयी तथा आवंटन के पश्चात् भी भौतिक रूप से किसी भी प्रकार से कब्जा सिपूर्द नही किया गया है। जिससे भी आंवटन के नियमों की पालना नहीं की गयी हैं।बिना मौका जांच किये बिना कब्जा सिपूर्द किये जाने के सन्दर्भ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्र.स. अपील/एलआर/3316/2002 जयपुर राधाकिशन बनाम राजस्थान

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

सरकार दिनांक 03.12.2012 को दिये महत्वपूर्ण निर्णय में आंवटन की प्रक्रिया को गलत मानकर निरस्त किया गया है। लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की लिखित बहस स्वीकार की जाकर विपक्षीगण को दिनांक 03.12.2004 को आराजी नम्बर 1142 बाबत् किये गये आंवटन को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा लिखित बहस प्रस्तु कर निवेदन किया गया की मौजा गांगरोल तहसील छोटीसादडी के आराजी संख्या 1142 रकबा 0.53 है. आंवटन कमेटी द्वारा सारी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मेघराज मेघवाल व उसके परिजनों को मिसल क्रमांक 53/04 के द्वारा आवंटन की गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आंवटित भूमि का कब्जा आवंटियों को मौके पर सौपा जाने बाबत् आदेश दिनांक 07.12.2004 पटवारी हल्का गागरोल को निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 07.02.2005 को पटवारी हल्का गागरोल द्वारा आराजी संख्या 1142 रकबा 0.53 है. का कब्जा आवंटियों को मौके पर पेमुद कर कब्जा मौके आंवटियों को सूपूर्द किया है। नामान्तरण संख्या 504 से मौजा गागरोल की आराजी संख्या 1142 रकबा 0.53 है. आवंटियों के नाम खाते दर्ज हुई है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में यह दर्शाया है कि सन् 1994 में उसने मौजा गागरोल की आराजी संख्या 1222 खरीद की है उसने 1142 उसके पास नाजायज कब्जा होने से कब्जा प्रार्थी को बैच दिया है जबकी सत्य यह है कि बिना स्वामित्व के नाजायज कब्जे की भूमि ना तो बैची जा सकती है एंव नही खरीदी जा सकती है। निगरानीकार ने निगरानी मे दर्शाया है कि 2500 वर्गगज भूमि सड़क में चली गई है मौजा गागरोल की आराजी न0 1142 रकबा 2.9500 है. बिलानाम था उसमें से विपक्षीगण को सन् 2004 में 0.5300 है. भूमि मौके पर पेमुद(नाप) मौके पर कब्जा विपक्षी को सिपुर्द किया है उक्त पर्चा पत्रावली में प्रस्तुत किया हुआ हैं जिसमें कहीं पर भी रोड़ का हवाला नहीं है इसका मतलब रोड़ निकली भी है तो 1142 रकबा 2.9500 है. मे से निकली है आंवटित भूमि से रोड़ का कोई संबंध नहीं है वैसे भी यह प्रश्न आवंटन के 22 वर्ष बाद उठाया गया है। उसके पूर्व कभी–भी प्रार्थी द्वारा रोड़ में भूमि जाने की कहीं भी कोई आपत्ति आज तक नहीं की गई है जंहा तक सन् 2003 एंव 2004 में कब्जा उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा रहा हैं इस सम्बन्ध में सन् 2003 एंव सन् 2004 के धारा 91 के नोटिस विपक्षी को प्राप्त हुए थे जिससे स्पष्ट है कि वक्त आंवटन भी विपक्षी उक्त भूमि पर कब्जे मे रहा है। विपक्षी का कभी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी ने 22 वर्षो में पहली बार आंवटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत निगरानी पेश की है, जो अत्यधिक देरी से की हैं तथा उक्त निगरानी केवल इसी आधार पर निरस्त योग्य है कि इस प्रकरण में आंवटन के 22 वर्ष बाद प्रार्थी ने निगरानी की है जिसका कोई उचित स्पष्टिकरण भी नही है। विपक्षीगण ने गत वर्ष मुंगफली की फसल बो कर ली है। निगरानीकार पाटीदार है तथा आर्थिक रूप से मजबूत है विपक्षी अनुसूचित जाति का होकर गरीब तबके से हैं इसका प्रार्थी ने फायदा उठाया हैं तथा गलत तथ्य माानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके एक पक्षीय यथावत् स्थिति का आदेश प्राप्त किया था, जिसकी आड में प्रार्थी ने विपक्षीगण को जो की खातेदार है उनको धारा 107–151 में बन्द करवा कर और डराकर और पुलिस से मिलकर जबरन अतिक्रमण किया हैं जो कानून में (वैधानिक) कब्जे में नही आता हैं। मौजा गागंरोल की आराजी न. 1142 रकबा 0.5300 है. का विपक्षी सन् 2010 में खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा उसे खातेदारी अधिकार

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

प्राप्त हो चुके हैं। कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद कृषि भूमि का आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं जैसा की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 7(A)2018(2)DNJ(Raj)P726 के पैरा 8 मैं दिया हैं इसमें स्पष्ट है कि आंवटी को खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है जब तक की उक्त आंवटन फ्राड,धोखाधडी से प्राप्त किया गया हैं जबकी इस प्रकरण में आंवटन बाबत् कोई धोखाधडी का मामला न तो निगराकार द्वारा बताया गया हैं नहीं उक्त आंवटन में इस प्रकार का आक्षेप है। 7(B) के अनुसार विपक्षी को आंवटन सन् 2004 में हुआ हैं एंव विपक्षी को खातेदारी अधिकार सन् 2010 में प्राप्त हो चुके हैं जिसको करीब आज 16 वर्ष हो चुकें एंव उक्त निगरानी आंवटन के 22 वर्ष बाद की गई हैं जो अत्यधिक देरी से हैं। 2016(2)RRT 756 पर डबल बेंच ने 14 वर्ष की देरी को आधार मानते हुए आवंटन बहाल रखा हैं जबकि इस प्रकरण में 22 वर्ष की देरी से आवंटन निरस्ती का आवेदन निगराकार द्वारा पेश किया गया हैं इस कारण इसी आधार पर आवंटन खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया गया तथा उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम गागरोल की आराजी संख्या 1142 रकबा 0.53 है. भूमि अप्रार्थी/विपक्षी मेधराज,रामनिवास, दुर्गाशंकर पिता नंदा केशरबाई पति मेधराज, राजुबाइ पति रामनिवास को जरिये 53/2004 आवंटन आदेश दिनांक 3.12.2004 के द्वारा आवंटित होने पश्चात् दिनांक 07.12.2005 को कब्जा सुपुर्दगी की गई। उक्त आवंटित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 26.05.2005 के द्वारा आवंटी के नाम बतौर गैर–खातेदारी में दर्ज की गई थी। साथ ही बहस में यह उजागर हुआ कि प्रार्थी प्रहलाद द्वारा उक्त आवंटीत भूमि का क्रय पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा निजी खातेदारी भूमियों के साथ कब्जे के आधार पर किया गया है। परन्तु अवैध कब्जे के आधार पर सरकारी भूमि का क्रय–विक्रय भी अवैध ही है इसके अतिरिक्त आवंटीत भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी/विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी के रूप में दर्ज होना जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 294 के द्वारा प्रमाणित होता है। यह माना जाना स्वभाविक है कि आवंटी/अप्रार्थी/विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है, तभी उक्त भूमि अप्रार्थी/विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा आंवटन के उपरान्त लम्बे समय व्यतीत होने पर भी किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गयी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 2500 वर्गमीटर सड़क का नामान्तरण कर विभाग के नाम कर शेष आवंटित भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में यथावथ रखे।

निर्णय आजदिनांक 21.05.2026 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखा गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़